रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1014] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2006/भाद्र 20, 1928
No. 1014] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2006/BHADRA 20, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2006

सं. 32 (आर ई-2006)/2004–2009

का.आ. 1470(अ).– विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 के पैराग्राफ 2.1 और 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अन्तर्गत बेकरी वसा और मार्जरीन सहित वनस्पति के आयात हेतु अतिरिक्त संक्रमणकालीन व्यवस्था अधिसूचित करती है :–

(i) "उन सभी मामलों में जहाँ आयातक श्रीलंका में किसी एक सरकारी प्राधिकारी अर्थात् सीमाशुल्क प्राधिकारी, उत्पाद शुल्क प्राधिकारी अथवा निवेश बोर्ड, श्रीलंका सरकार में से कोई एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि उक्त खेप की श्रीलंका के फैक्टरी परिसर से 2 जून, 2006 अथवा उससे पूर्व निकासी हो चुकी थी, सार्वजनिक सूचना संख्या 17(आर ई-2006)/2004–2009 दिनांक 2-6-2006 में निहित प्रावधानों के बावजूद भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के तहत बेकरी वसा और मार्जरीन सहित वनस्पति के आयात की अनुमति दी जाएगी। प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख किया जाए कि खेप भारत को निर्यात करने हेतु थी।

(ii) उपरोक्त संक्रमणकालीन व्यवस्था, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 1.5 पर अधिसूचित और अधिसूचना संख्या 22 (आर ई-2006)/2004–2009 दिनांक 24-7-2006 द्वारा अधिसूचित संक्रमणकालीन व्यवस्था के अतिरिक्त होगी।

(iii) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के तहत 1-4-2006 के बेकरी वसा और मार्जरीन सहित वनस्पति के आयात को भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के तहत श्रीलंका से भारत को इन मदों के निर्यात के लिए दोनों सरकारों के मध्य समस्त मात्रात्मक सीमा के मद्दे समायोजित और इस संबंध में निर्धारित तरीकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/0001/एएम 01/पी सी-1क]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2006

No. 32(RE-2006)/2004—2009

S.O. 1470(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.3 and 2.1 of Foreign Trade Policy, 2004—2009, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the additional transitional arrangement for import of vanaspati including bakery shortening and margarine under the Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement :—

(i) "Import of vanaspati including bakery shortening and margarine made under Indo—Sri Lanka Free Trade Agreement shall be allowed, irrespective of provisions contained in Public Notice No.17 (RE-2006)/2004—2009 dated 2-6-2006, in all cases where the importer produces a certificate from one of the Government Authorities in Sri Lanka *i.e.* the customs authorities, the excise authorities or the Board of Investment, Government of Sri Lanka, clearly stating that the particular consignment had left the factory premises in Sri Lanka on/or before 2nd June, 2006. The certificate should also mention that the consignment was meant for export to India.

(ii) The above transitional arrangement will be in addition to the transitional arrangements notified at paragraph 1.5 of Foreign Trade Policy and notified *vide* Notification No. 22 (RE-2006)/2004—2009 dated 24-7-2006.

(iii) The imports of vanaspati including bakery shortening and margarine under Indo—Sri Lanka Free Trade Agreement made since 1-4-2006 shall be adjusted against overall quantitative limit arrived between the two Governments for export of these items from Sri Lanka to India under Indo—Sri Lanka Free Trade Agreement and guided by the modalities to be fixed in this regard".

This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/0001/AM 01/PC-IA]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.